

प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक मुंगेली (छ.ग.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 के संबंध में विभाग से संबंधित जानकारियां:-

1. संस्था की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य:

- नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्था शासकीय पॉलीटेक्निक मुंगेली के रूप में विभिन्न पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के प्रभावी संचालन के जरिए कुशल एवं दक्ष तकनीशियन तैयार करने का उत्तरदायित्व यह संस्था गत 08 वर्षों से पूरे मनोयोग के साथ निष्पादित कर रही है।
- इस संस्था में 3 विभिन्न संकायों में अध्ययनरत लगभग 138 छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक उन्नयन किया जा रहा है, उन्हें न केवल तकनीकी विषयों में परिपक्व ज्ञान प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर, जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां:

- प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संस्था के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य सराहनीय है।

3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:

लिपिक → तकनीकी कर्मचारी → व्याख्याता → विभागाध्यक्ष → प्राचार्य

4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:

- छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की आचार संहिता का पालन करना

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:

- यथा समय शासन से जारी निर्देशानुसार

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण:

- शिक्षण संस्थान से संबंधित दस्तावेज

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है:

- सभी नितियों के लिये यह व्यवस्था लागू है।

8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण:

- संस्था के लिये लागू नहीं है।

9. एवं

10. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका:

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष/मोबाईल
1	श्री मनोज कुमार ताण्डेय	प्रभारी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष	94791-76258
2.	श्री बृजेश कुमार साहू	व्याख्याता- मेकेनिकल	78792-48183
3.	श्री शीतलेश कुमार श्रीवास	व्याख्याता- मेकेनिकल	90393-52685
4.	श्री सुशील कुमार	व्याख्याता- मेकेनिकल	89623-68624
5.	श्रीमती गायत्री राठौर	व्याख्याता- मेकेनिकल	78796-46353
6.	श्री दीपक कुमार वर्मा	व्याख्याता- अंग्रेजी	99936-21116
7.	श्री मुकेश कुमार राय	व्याख्याता- रसायन	62605-06269
8.	सुश्री पूजा आदित्य	सहायक कर्मशाला अधीक्षक	93402-25685
9.	श्री ओम कुमार सिंह	ग्रंथपाल	87701-71708
10.	श्री जे.पी.एस.ठाकुर	कार्यालय सहायक ग्रेड-2	98279-20879
11.	श्री रविन्द्र सिंह पोर्ते	तकनीकी सहायक	96914-62501
12.	श्री हरदेव सिंह नेताम	प्रयोशाला तकनीशियन	97542-23087
13.	श्री यशवंत सिंह चौहान	कुशल सहायक (कर्मशाला)	84354-25671
14.	श्री गुरुचरण सिंह	भृत्य	95847-03328

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों का विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:

- वर्ष 2020-21 में संस्था को प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी है:

2020-21 आबंटन, व्यय (मांग संख्या - 64-2203,64-4202)			
संस्था का नाम :- शासकीय पोलीटेकनिक मुंगेली, जिला - मुंगेली - (छ. ग.)			
आयोजना (राशि रुपये)			
स.क्र	लेखा शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2020-21 का आबंटन	कुल व्यय
01 वेतन भत्ते			
1	001 वेतन	13300000	12549112
2	003 मँहगाई भत्ता	2100000	2010045
3	006 मकान किराया	250000	241848
4	014 अन्य भत्ते	20000	15900
5	015 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20000	0
6	020 त्यौहार अग्रिम	24000	16000
	योग :- 01	15714000	14832905
02 मजदूरी			
7	004 मजदूरी	292000	291544
	योग :- 02	292000	291544
03 यात्रा भत्ता			
8	001 यात्रा भत्ते दौरे पर	50000	22490
9	002 यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	0	0
	योग :- 03	50000	22490
04 कार्यालय व्यय			
10	001 डाक तार पर व्यय	5000	0
11	002 दूरभाष पर व्यय	10000	0
12	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	200000	192620
13	004 पुस्तके एवं नियत कालिक पत्रिकाएं	50000	26772
14	005 विद्युत एवं जल प्रभार	300000	223420
15	006 वर्दियाँ	5000	0
16	007 लेखन सामग्री	40000	6089
17	008 अन्य आकस्मिक व्यय	50000	49917
18	009 सूचना एवं प्राद्यौगिकी	50000	48234
	योग :- 04	710000	547052
05 प्रशिक्षण			
19	002 अन्य प्रशिक्षण	30000	0

	योग :- 05	30000	0
20	64-2203-00-105-0103-2668-10-010 (व्यावसायिक अदायगियां सुरक्षा व्यय)	100000	0
11 छात्रवृत्तियां एवं अन्य हितलाभ			
21	शिष्यावृत्ति 64-2203-00-105-0103 -2668-11-001	0	0
22	अध्ययन भ्रमण 64-2203-00-105-0103 -2668-11-002	50000	0
23	11-013 सम्बद्धता शुल्क	45000	40000
24 अनुरक्षण कार्य			
24	011 शैक्षणिक संस्थाएँ एवं छात्रावास/आश्रम	50000	0
25 सामग्री और पूर्तिया			
25	001 भण्डार तथा कच्चा माल	20000	5608
26	006 अन्य व्यय	40000	34515
28 मशीन और उपकरण			
27	28 मशीन और उपकरण 006 अन्य व्यय	100000	84814
28	33-003 औजार एवं संयंत्र आपरेटिंग/संधारण पर व्यय	20000	19100
29	86 कोचिंग प्रतियोगिताएं (खेलकुद)	30000	0
30	मांग संख्या 64-2203-00-106-0103 -1853-25-006 1853 ड्राइंग सामग्री का प्रदाय, 25 सामग्री और पूर्तिया 006 अन्य व्यय	50000	49677
31	मांग संख्या 64-2203-00-106-0103 -2993-04-004 बुक बैंक	50000	47032
32	मांग संख्या 64-2203-00-108-0103 -4068-86-000 विशेष कोचिंग कक्षाएँ	25000	0
33	64-4202-02-104-0103-2668-28-006 मशीन उपकरण (नवीन मद)	4356500	698516
	योग	21732500	16673253

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है:

- संस्था में लागू नहीं है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां लागू है:

- संस्था में लागू नहीं है।

14. किसी इलेक्ट्रानिक्स रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो:

- संस्था में लागू नहीं है।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किया पुस्तकालय या वाचन कक्ष से, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है:

- संस्था में लागू नहीं है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां:

- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

क्र.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल
1.	श्री अवनीश कुमार शरण	संचालक/अपिलीय अधिकारी	संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)	0771-2331331
2.	श्री मनोज कुमार ताण्डेय	प्राचार्य/जनसूचना अधिकारी	शासकीय पॉलीटेक्निक मुंगेली	94791-76258
3	श्री जे.पी.एस.ठाकुर	सहायक जनसूचना अधिकारी	शासकीय पॉलीटेक्निक मुंगेली	98279-20879

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा, अधीनस्थ कार्यालय:

- संस्था में लागू नहीं है।

संस्था से संबंधित सामान्य जानकारी
संस्था में (सत्र 2020-2021 प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची)

क्र.	शाखा	प्रवेश क्षमता		प्रवेशित		लेटरल एंट्री
		पी.पी.टी.	लेटरल एंट्री	क्षमता/टीएफडब्ल्यू /केन्द्रीय दिव्यांग	टीएफडब्ल्यू	
1	सिविल	60	43	18		07
2	मेकेनिकल	60	64	01		01
3	इलेक्ट्रीकल	60	57	10		13

मेरिट और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियां

संस्था में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिये मेरिट और मेरिट-कम-मीन्स स्कालरशिप रु.600/- प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को सुविधाएं

संस्था में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों (जिनके माता/पिता की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक) के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्रों जिनके पिता/माता की आय रु.2.50 लाख प्रतिवर्ष तक है, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है तथा रु. 2.50 लाख से अधिक वार्षिक आय पर शिक्षण शुल्क पूरी देय है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सुविधाएं

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्रों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु.1.00 लाख या उससे कम हो, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

बी.पी.एल.छात्रवृत्ति

संस्था में अध्ययनरत् प्रत्येक बी.पी.एल.(गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले) सामान्य श्रेणी के छात्र एवं छात्राओं को राशि रु.500.00 प्रति माह प्रति सेमेस्टर (5 माह) दिये जाने का प्रावधान है।

ट्रूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्ल्यू)

यह योजना सत्र 2007-08 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ब्रांच वार प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें ट्रूशन फी व्हेवर सीटें होती हैं। 60 सीटों की प्रवेश क्षमता पर 3 सीटें फी व्हेवर के अन्तर्गत होंगी। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र छात्राओं को संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र छात्राओं के पालक /अभिभावक की समस्त स्त्रोंतों से सम्मिलित वार्षिक आय 4.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रैंक है।

छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क माफ

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क माफ किया गया है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संस्था में लागू है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संस्था में लागू है।